त्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

UPSIDA

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर
पोस्ट बाक्स नं0 1050
कानपुर– 208024
दूरभाष :2582851–53 (PBX)
फैक्स :(0512)2580797
वेबसाइट :www.upsidc.com
ई.मेल :feedback@upsidcltd
सिन– U26960UP1961SGC002834

संदर्भ संख्या /यूपीसीडा /औ0क्षे0/ दिनांक

–:: कार्यालय आदेश ::–

औद्योगिक विकास क्षेत्रों में निवेश मित्र के पोर्टल से प्राप्त औद्योगिक भूखण्डों के आनलाइन आवंटन के सम्बन्धी प्रस्तावों के परीक्षण हेतु गठित समिति सम्बन्धी कार्यालय आदेश सं0 671–674/एसआईडीसी–आईए/पालिसी वा0–17 दिनांक 14.06.2017 के अनुक्रम में प्रस्तावों के परीक्षण एवं समीक्षा के उपरान्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु क्षे0प्र0/परि0 अधिकारी/अधि0 अभियन्ता द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विचार करते हुए अपनी आख्या आकलन समिति के कार्यवृत्त में सम्मिलित करते हुए भूखण्ड के आवंटन की अनुशंसा समिति द्वारा की जायेगी :–

1. प्रस्तावित क्षेत्र का पूर्ण अधिग्रहण/पुनर्ग्रहण, अधिग्रहण के उपरान्त भूखण्डों की भूमि का प्राधिकरण को कब्ज़ा प्राप्त है।

2. प्रस्तावित भूखण्ड पार्क, सड़क एवं जनसुविधा आदि के अन्तर्गत नियोजित न किया गया हो, भू–उपयोग परिवर्तन उपरान्त सृजित होने की दशा में भू–उपयोग परिवर्तन का यूपीसीडा/शासन अनुमोदन पत्र एवं प्रक्रिया पूर्ण होने के प्रपत्र उपलब्ध कराने एवं उपयोग यूपीसीडा द्वारा अनुमोदित तलपट मानचित्र में भूखण्ड औद्योगिक निर्धारित है।

3. प्रस्तावित भूखण्ड न्यायालय में किसी वाद से आच्छादित नहीं है एवं पूर्ण रूप से अविवादित है।

4. आवेदक द्वारा दी गई परियोजना रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट की श्रेणी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वर्णित व्हाइट, ग्रीन, ओरेन्ज एवं रेड सही रूप से निर्धारित है। आवेदित परियोजना हेतु चिन्हित एंव प्रस्तावित भूखण्ड प्राधिकरण की वर्गीकृत औद्योगिक श्रेणी एम–0 से एम–5

Scanned with CamScanner

किसी भी रूप में बाधित नहीं है अर्थात औद्योगिक क्षेत्र जिसमें भूखण्ड आवंटन परियोजना का प्रस्तावित किया जा रहा है वह अनुमन्यता की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों की पुष्टि करने के साथ ही आवंटन निर्गत होने में यह शर्त का समावेश भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना आवंटन के समय पूँजी निवेश, रोजगार सृजन एवं लीजडीड निष्पादित कर परियोजना क्रियान्वयन की निर्धारित अवधि जो परियोजना रिपोर्ट में दर्शायी गई है उसका अनुपालन भी भविष्य में किया जाना होगा अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही नियमानुसार करने का दायित्व क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा

(पंकज पाण्डेय)
सहा0महा प्रबन्धक(सा0/प्र0)
एवं प्रभारी (औ0क्षे0)

पृष्ठॉकन सं0 ५३४५/11/A/ यूपीसीडा/ औद्योगिक/आनलाइन आवंटन दिनॉक 22-10-19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. वयैक्तिक सहायक–मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर ।
2. प्रबन्धक, कम्पयूटर अनुभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त आदेश को तत्काल प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें ।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी,/अ0अभि0, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0।
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, यूपीसीडा मुख्यालय कानपुर।

Pankaj Pandey

(पंकज पाण्डेय)
सहा0महा प्रबन्धक(सा0/प्र0)
एवं प्रभारी (औ0क्षे0)

Scanned with CamScanner